R-2273-PBR/14 (रायसेन)

1. श्रीमती कोशीबाई पत्नी स्वर्गीय शंकरलाल
   आयु– लगभग 40 वर्ष

2. सरवन आत्मज स्वर्गीय शंकरलाल
   आयु–लगभग 40 वर्ष

S.K. Shrivastava

3. देवी सिंह स्वर्गीय शंकरलाल
   आयु–लगभग 38 वर्ष

   01 लगायत 03 निवासी–ग्राम हिनोतिया आलम
   तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

4. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी श्री रंजीत सिंह
   पुत्री स्वर्गीय श्री शंकरलाल आयुवयस्क
   निवासी–ग्राम पलोहा तहसील व जिला रायसेन म0प्र0

5. श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री नंदकिशोर
   पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल आयु–43 वर्ष
   निवासी–ग्राम सलकनी अब्दुलागंज
   तहसील गोहरगंज जिला रायसेन म.प्र.

6. श्रीमती कोमल बाई पत्नी श्री रामस्वरूप
   पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल आयु लगभग 35 वर्ष
   निवासी–ग्ररम सतलापुरा मण्डीदीप जिला रायसेन म0प्र0

7. चिंता बाई पत्नी श्री नंदकिशोर पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल
   आयुवयस्क
   निवासी–ग्राम सतलापुर मण्डीदीप जिला रायसेन म0प्र0

--------आवेदकगण

विरूद्ध

मैसर्स. डी.के. कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री नीरज गोयल
आत्मज श्री पी.डी.गोयल आयुवयस्क
निवासी-- दीनदयाल परिसर ई–2 अरेरा कॉलोनी
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

-------अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959।

आवेदकगण की ओर से माननीय तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्र. 91/अ-12/2012-13 पक्षकार डी.के. कंस्ट्रक्शन विरूद्व सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 14.08.2013 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर निम्न निगरानी प्रस्तुत है:-

तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2273–पीबीआर/2014 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु प्रकरण का अवलोकन किया गया । निगरानी प्रकरण कमांक 2070–पीबीआर/2015 मदनलाल मीना विरूद्ध दिनेश कुमार गोयल आदि के तथ्य एवं इस प्रकरण के तथ्य समान है, इसलिये उक्त निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06–01–2016 इस प्रकरण में भी लागू होगा, अतः उक्त आदेश की एक प्रति इस प्रकरण में संलग्न की जाये । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2070–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल प्रकरण कमांक 768/बी–121/2014–15.

मदनलाल मीना पुत्र जगन्नाथ मीना
निवासी ग्राम हिनोतिया आलम
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

1– दिनेश कुमार गोयल पुत्र पी.डी. गोयल
निवासी ई–5/147, अरेरा कॉलौनी भोपाल
2– म0प्र0 शासन द्वारा थाना प्रभारी
पुलिस थाना कोलार रोड जिला भोपाल
द्वारा सुशील मिश्रा (ए.एस.आई.)
पुलिस थाना कोलार रोड, भोपाल
3– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....अनावेदकगण

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अनावेदक कमांक 2 एवं 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 / प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 थाना प्रभारी पुलिस थाना कोलार रोड जिला भोपाल द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल को पत्र कमांक डी—643 / 15 दिनांक 21—3—15 इस आशय का लिखा गया कि अनावेदक कमांक 1 दिनेश गोयल द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम हिनोतिया आलम स्थित भूमि सर्वे कमांक 448, 450 / 2, 451 / 2 एवं 452 / 2 रकबा 5.52 एकड़ एवं सर्वे कमांक 503 रकबा 0.69 हेक्टेयर पर आवेदक द्वारा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने के दौरान आवेदक विवाद कर रहा है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अतः अनावेदक कमांक 1 की प्रश्नाधीन भूमि की नपती उनके समक्ष कराये जाने के निर्देश दिये जायें । थाना प्रभारी के पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 768 / बी—121 / 2014—15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं पटवारीगण के दल द्वारा थाना प्रभारी की उपस्थिति में सीमांकन कराये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि थाना प्रभारी के पत्र के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा किये जाने संबंधी कोई भी प्रावधान संहिता की धारा 129 के अंतर्गत नहीं है । संहिता की धारा 129 के अंतर्गत कार्यवाही कराये जाने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, और इसके साथ चालान की प्रति प्रस्तुत की जाती है, अतः तहसीलदार द्वारा थानेदार के पत्र के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही करने में संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की भूमि का दूसरे व्यक्ति द्वारा सीमांकन कराया गया है, जो कि पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही है ।

4 / अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 दिनेश गोयल द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है, और वह अंतिम हो गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि विवादित होने और आवेदक द्वारा झगड़े की स्थिति उत्पन्न करने पर थाना प्रभारी से शिकायत की गई है, अतः थाना प्रभारी द्वारा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कराये जाने संबंधी पत्र लिखने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 1 की

भूमि पर दीवाल बनाना शुरू कर दिया गया था, इसलिए थाने में रिपोर्ट की गई थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तत की गई थी । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक को निर्देशित किया जाये कि वह अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर दीवाल न बनाये, और तहसीलदार को निर्देशित किया जाये कि वह सीमांकन की विधिवत कार्यवाही कराये ।

5 / अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का दोबारा सीमांकन कराये जाने में उभय पक्ष को किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं है ।

6 / उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनेक सीमांकन हुए हैं, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न निर्मित हुई है, और विवाद को सुलझाने की दृष्टि से शासन को प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार है । चूंकि प्रकरण में विवाद की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि तहसीलदार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर अपनी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराये ।

7 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—5—2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर